ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

/223 F7A भंवरसिंह v/s राधाकंवर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/158 R-1 से 4 अ.उ. श्री पुष्पेन्द्र सिंह श्री 4A-8	
7/10/23	भंवरसिंह बनाम राधा कंवर (158/2023) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपील में पक्षकारों के बीच आपसी पंचायती एवं पारिवारिक रिश्तेदारों की समझाईश से राजीनामा हो जाने से अब पक्षकारों के बीच प्रकरण में कोई विवाद नही रहा है। ऐसे में अब पक्षकार उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है ना ही अपील आगे चलाना चाहते है। ऐसे में उक्त अपील को आगे नहीं चलानें से विड्रो किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील को जरिये विड्रोल दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपीलांट भंवरसिंह स्वयं उपस्थित होकर आधार कार्ड की प्रति पेश की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिसे अभिभाषक अपीलांट ने तस्दीक किया। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अपील को आगे नही चलाकर विड्रो किया जाना करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	भंवरसिंह ता. 17-10-23 Identified by T.S. Rathore Adv. 17/10/23

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जी, अजमेर
अपील डिक्री टी.ए. संख्या...158/2023 जिला जयपुर

------ 2023/158

भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत, निवासी रहलाना, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

— अपीलांट

बनाम्

1. राधा कंवर पत्नी घासी सिंह
2. गिरधर सिंह पुत्र घासी सिंह
3. नन्दकिशोर पुत्र घासी सिंह
4. सम्पत कंवर पुत्री घासी सिंह पत्नी मानसिंह
   सभी जाति दरोगा, निवासीगण 120 ग्रीन एवेन्यु नगर सुराणा फार्म, अजमेर रोड़, बायपास, जयपुर।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दूदू जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी, दूदू दिनांक 12.10.2022 जो कि राजस्व वाद संख्या 117/2022 बउनवानी राधा कंवर बनाम् तहसीलदार दूदू में पारित की गई।

मान्यवर,

इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 ने प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी, दूदू के न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के